

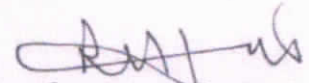
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), संभाग-जशपुर
जिला जशपुर (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

लोक निर्माण विभाग, जशपुर संभाग द्वारा सर्वेक्षण द्वारा पाया गया है कि प्रस्तावित आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु ग्राम तुरीलोदाम, तहसील जशपुर, जिला एवं वनमण्डल जशपुर, के लिए कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि हवाई पट्टी के लम्बाई में 450 मीटर का विस्तार किया जाना है वर्तमान में हवाई पट्टी की लम्बाई लगभग 4000 फीट है जिसे 5000 फीट किया जाने की आवश्यकता है और उसके बाद लगभग 1000 फीट की खाली जगह छोड़ी जानी आवश्यक है दिनांक 16.09. 2009 को कलेक्टर महोदय जशपुर के निरीक्षण में यह निर्णय लिया गया कि हवाई पट्टी को पश्चिम दिशा की ओर विस्तार किया जाना उचित होगा, पूर्व दिशा की ओर वन भूमि के साथ साथ कोरवा एवं उरौव आदिवासीयों की भूमि प्रभावित होगी, विस्तारीकरण हेतु आयोजित ग्राम सभा में भू-अर्जन हेतु ग्रामिणों ने विरोध प्रदर्शित किया था, अतः विस्तारीकरण परियोजना के लिए 4.365 हे. राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है ।

दिनांक :- 05/02/2015

स्थान :- जशपुर



कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग जशपुर
जिला - जशपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण :-		आगडीह हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण							
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना स्कीम का संक्षिप्त विवरण	(i)	जशपुर जिले के जशपुर विकासखण्ड के ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 19/विमानन/2011 रायपुर दिनांक 25/10/2011 को स्वीकृति प्रदान की गई है, भविष्य की मांग अनुसार हवाई पट्टी में पश्चिम दिशा की ओर 450 मीटर का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है । हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार के लिये 4.365 हे. राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है ।							
			विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-							
			(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :-							
			क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में		
			1	2	3	4	5	6		
			1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.000		
			योग :-					0.000		
			(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि:-							
			अनु. क्र.	जिले का नाम	वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे. में	
			1	2	3	4	5	6	7	
			1	जशपुर	जशपुर वनमंडल	जशपुर	तुरीलोदाम	188	1.975	
			2					195	2.389	
			योग :-							4.365
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	(ii)	वांछित मानचित्र/वनभूमि का मानचित्र संलग्न है।							
(iii)	परियोजना की लागत	(iii)	रूपये 885.69 लाख							

(iv)	वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	(iv)	जशपुर जिले अन्तर्गत आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तार हेतु छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग दाउ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर द्वारा प्रशासकीय एवं कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, सरगुजा परिक्षेत्र अम्बिकापुर के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा हवाई पट्टी के उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग जशपुर संभाग द्वारा सर्वे कार्य किया गया, सर्वे उपरान्त हवाई पट्टी उन्नयन एवं विस्तारीकरण हेतु वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है ।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	(v)	आवश्यक नहीं है ।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	(vi)	निर्माण समय में लगभग 10 कुशल एवं 50 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन ।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण		परियोजना में आवश्यक वन भूमि का उपयोग सिर्फ हवाई पट्टी विस्तार हेतु किया जायेगा एवं ग्रामीणों हेतु हवाई पट्टी से बायपास पहुच मार्ग के निर्माण किया जायेगा । जिससे हवाई पट्टी विस्तार के बाद ग्रामीणों के ग्राम तक पहुचने में असुविधा ना हो ।
3	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है?		
(i)	परिवारों की संख्या	(i)	निरक
(ii)	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की	(ii)	निरक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	(iii)	निरक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	4	आवश्यक नहीं ।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन-बद्धता संलग्न की जाए।	5	वचन पत्र संलग्न है

6 निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा	6 संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा निम्न प्रकार है :- 1. राज्य शासन विमानन विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति पत्र की छाया प्रति 2. वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदन पंजीयन हेतु पंजीयन एवं प्रोसेसिंग की राशि का डिमांड ड्राफ्ट मूल प्रति 3. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर जशपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र 4. परियोजना का विस्तृत मानचित्र 1:50000 स्केल टोपोग्रॉफ़िस्ट पर 5. परियोजना का विस्तृत विवरण रिपोर्ट (डी.पी.आर.) 6. एन.पी.व्ही. एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण किए जाने का वचन पत्र 7. अन्य प्रमाण/वचन पत्र 8. परियोजना हेतु आवेदित वनभूमि का डी.जी.पी.एस. सवे कार्डिनेट एवं रिपोर्ट
--	---

तिथि : 05/02/2015

स्थान : जशपुर

हस्ताक्षरकर्ता



कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर
जिला जशपुर (छ.ग.)

16-12/11

छत्तीसगढ़ शासन
विमानन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय - रायपुर

क्रमांक 19 / विमानन / 2011

रायपुर, दिनांक 25/10 / 2011

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- जिला जशपुर स्थित आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन (चौड़ीकरण व विस्तारीकरण)
हेतु निर्माण कार्य राशि रु. 885.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

0000

राज्य शासन एतद् द्वारा जिला जशपुर स्थित आगडीह हवाई पट्टी के उन्नयन
(चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण) हेतु निर्माण कार्य हेतु मांग संख्या
-42-5053-02-102-~~82~~-0101-4727 के अंतर्गत राशि रु. 885.69 लाख (रु. आठ करोड़
पचासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 566/सी.एम. 00000699/बजट-2/वित्त/चार/2011,
दिनांक 03.10.2011 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु सहमति प्राप्त की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से आदेशानुसार

(अब्बास खान)

अवर सचिव
विमानन विभाग
मंत्रालय - रायपुर

- 2 -

न्यायालय कलेक्टर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़)
// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

कमांक

/ वाचक / 2015:

जशपुर, दिनांक

जनवरी, 2015

लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के प्रस्तावित विस्तारीकरण कार्य हेतु चयनित भूमि वर्तमान स्थिति अनुसूची-1 में अंकित राजस्व वन भूमि है, गैर वानिकी उपयोग के लिए मुख्य वन संरक्षक, रायपुर कार्यालय में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पंजीयन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है :-

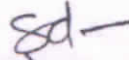
अनुसूची-1

कमांक	खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	उपयोग हेतु मांग किया गया रकबा हे० में	दर्ज मद
01.	188	4.804	1.975	छोटे झाड़ का जंगल
02.	195	3.042	2.540	छोटे झाड़ का जंगल
योग-	02	7.846	4.515	—

उपरोक्त भूमि की जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रतिवेदन अनुसार अनुसूची 1 में अंकित भूमि जो राजस्व वन भूमि है, पर लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर, ग्राम तुरीलोदाम में आगडीह हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित होगा।



अतः अनुसूची 1 में उपयोग हेतु मांग किया गया, कुल रकबा 4.515 हे० राजस्व वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन में उपयोग हेतु देने में इस कार्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

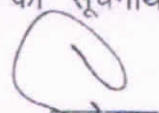

कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2015

सूचक / 2015: /398A

01. मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर को सूचनार्थ।
02. वन मण्डलाधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर को सूचनार्थ।
03. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर को सूचनार्थ।
04. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर,

जशपुर (छत्तीसगढ़)

SATELLITE IMAGE SUPERIMPOSED WITH AIR STRIP PROJECT BOUNDARY

PLATE-3



0 100 200 400 600 800 1,000
M.

SCALE:-10,000



Legend

- | | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| ● Airstrip Pillar | — Approach Road Highway to Air Strip-1 | ▭ Airstrip Boundary |
| ● Forest Pillar | — Approach Road to Air Strip-2 | ▭ Revenue Forest Area |
| | — Approach Road to Air Strip-3 | |

Executive Engineer P.W.D.
Jashpur Dn. Jashpurnagar
Chhattisgarh

वन मण्डलाधिकारी
जशपुर वन मण्डल
DGPS Survey Conducted and Map Prepared by :-
Spatial Planning And Analysis Research Centre Pvt. Ltd.,
6/11, Infocity, Chandaka Industrial Estate,
Bhubaneswar - 751024.